सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/03211/2021 दिनांक 08/09/2021

परिपत्र

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिये आमजन द्वारा आवेदनों के साथ विभिन्न प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रति वर्तमान में स्कैन (Scan) करके ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड की जाती है। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन करवाने के लिये आमजन को सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होना पड़ता हैं। जिससे उनका समय एवं धन खर्च होता है।

अतः दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाले समय, मेहनत एवं कागजी कार्यवाही को कम करने के उद्देश्य से समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी के माध्यम से सत्यापन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 में निम्न घोषणा की है :–

"विभिन्न राजकीय योजनाओ को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 2021 को गाँधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिए जायेगा।"

अतः उक्त बजट घोषणा एवं राजस्थान जनआधार प्राधिकरण अधिनियम की अनुपालना में विभिन्न विभागीय दस्तावेजों के जारी करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

नये दस्तावेजों के सम्बन्ध में

1. नये दस्तावेज के आवेदन के समय जनआधार, आधार लिया जाना सुनिश्चित करें।
2. नागरिक की जानकारी (यथा नाम, पता, आयु, इत्यादि) जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी से ही लेवें।
3. ऐसे दस्तावेज जिनको मेटा डेटा से सत्यापित किया जा सकता है उन दस्तावेज को सिस्टम से स्वतः बिना किसी Human Intervention के जारी किया जाना है। (उदाहरण – खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत चयनित परिवार को अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) का दस्तावेज सिस्टम से स्वतः सर्वर साइड सर्टिफिकेट से जारी किया जा सकेगा)
4. दस्तावेज जारी होने पर इसको नागरिक के वॉल्ट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. दस्तावेज का मेटा डेटा जनआधार रेजीडेन्ट डेटा रिपोजटरी में अपडेट करना सुनिश्चित करें।

पूर्व में जारी किये गये दस्तावेजों के एक बार सत्यापन के सम्बन्ध में

1. नागरिक द्वारा स्वयं की प्रोफाईल में पूर्व में जारी दस्तावेज एवं मेटा डेटा को जनआधार पोर्टल पर सीडिंग के माध्यम से अद्यतन के लिए आवेदन किया जायेगा। जिसका जारीकर्त्ता विभागीय अधिकारियों द्वारा तय सीमा में सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सत्यापन उपरान्त दस्तावेज नागरिक के वॉल्ट में एवं मेटा डेटा जनआधार पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य के नागरिकों को जारी किये दस्तावेजों के मेटा–डेटा एवं दस्तावेज में किसी प्रकार का परिवर्तन/निरस्त होने पर आवश्यक रूप से "जनआधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी" एवं नागरिक के वॉल्ट में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मेटा डेटा एवं दस्तावेज के आदान–प्रदान का कार्य विभागीय ऐप्लीकेशन, राज ई–वॉल्ट एवं जन आधार ऐप्लीकेशन के मध्य ऑनलाइन सिस्टेमेटिक लिंकेज (Systematic linkage) द्वारा किया जायेगा।

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2222007, Fax : 0141-2222011, Website: http://doitc.rajasthan.gov.in

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 249 में निम्न बजट घोषणा की है :–

"विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए *Deemed* ***तथा*** *Auto Approval* ***जैसे प्रावधान किये जायेंगे।"***

अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में सभी योजनाओं के आवेदनों में निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. उक्तानुसार योजनाओं के आवेदन में डाटा आधारित सत्यापन होने पर यथासंभव स्वतः स्वीकृति (Auto approval) के माध्यम से विभिन्न योजनाओ में बिना मानवीय हस्तक्षेप (Without human intervention) के स्वीकृति जारी की जावे।
2. जहाँ पर आवेदनों के निस्तारण में स्वतः स्वीकृति (Auto approval) सम्भव ना हो वहां पर सम्बंधित अधिकारी को अप्रूवल (Approval) के लिए निर्धारित समय सीमा दी जावे एवं समय सीमा समाप्त होने पर डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया जावे।
3. उपरोक्त की अनुपालना के लिए योजनाओं के अधिनियमों/नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जावे।

इस सम्बन्ध में सभी विभागों द्वारा एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जिसकी जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ई–मेल आईडी (mukeshks.doit@rajasthan.gov.in) पर भिजवाया जाये साथ ही उपरोक्त प्रक्रिया को 2 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रक्रिया में जानकारी के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्रं.सं	नाम	ई–मेल	मोबाईल
1.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, उपनिदेशक	pradeepks.doit@rajasthan.gov.in	9928038574
2.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक	mukeshks.doit@rajasthan.gov.in	9414995870
3.	श्री रणवीर सिंह, उपनिदेशक	ranveersingh.doit@rajasthan.gov.in	9784436635

(निरंजन कुमार आर्य)
मुख्य सचिव

क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/03211/2021 दिनांक 08/09/2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पदेन महानिदेशक जनआधार प्राधिकरण, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. निजी सचिव, निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. जयपुर, राजस्थान।
8. एस.ए.(संयुक्त निदेशक)/ए.सी.पी(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग समस्त जिले।

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2222007, Fax : 0141-2222011, Website: http://doitc.rajasthan.gov.in